न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व अपील संख्या 02/2017

अपीलार्थीगण

1. झीमरी पुत्री पूसाराम उम्र 52 वर्ष जाति मेघवाल निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
2. पुरणी पुत्री पूसाराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत जिलिया पंचायत समिति कचामनसिटी जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
3. उप पंजियक पंजियक एवं मुद्रांक कुचामनसिटी
4. भंवरया उर्फ भंवराराम पुत्र रामूराम जाति मेघवंशी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
5. भंवरा पुत्र मोहनराम
6. मिठु पुत्र मोहनराम
7. तुलछीराम पुत्र श्रवण उक्त तीनो की जाति मेघवंशी निवासी ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी
8. स्वरूपादेवी पत्नी सागरमल जाति मेघवंशी निवासी ग्राम जिलिया
9. नन्दु कंवर बीट अधिकारी कुचामनसिटी

अपील विरूद्व हल्का पटवारी द्वारा दिनॉक 19.01.1983 को दी गई रिपोर्ट पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांकित 26.01.1983 ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा बारानी द्वितीय अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनॉक 07.4.2021

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम ग्राम जिलिया के पुराने खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा पुसा, गणेश पिसरान भूरा की खातेदारी में थी उक्त खसरा के नवीन सेटलमेंट के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 206 रकबा 2.59 हैक्टर हो गये, ग्राम जिलिया के खसरा

नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार पुसा जाति मेघवंशी साकिन देह विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार अभिधृत होने से सम्वत 2010 से काबिज खातेदार स्वरूप जीवन पर्यन्त निरन्तर कृषि भूमि पर काश्त कर कृषि उत्पादन पर लगान अदा करते आ रहे है, उक्त पुसा पुत्र भुरा के 3 पुत्र मोहन रामूराम सरवण एवं अपीलार्थीगण दो पुत्रिया जीवित सन्ताने उत्पन्न हुई, पुसाराम के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी मोहन रामुराम सरवण के साथ साथ अपीलार्थी भी है, उक्त आराजी पर विरासत के आधार पर अपीलार्थीगण का जन्म से खातेदारी अधिकार निहीत चला आ रहा है, राजस्व नियम के अनुसास यह सिद्वान्त है कि मृत खातेदार की स्वीय विधि अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के हक में नामान्तरकरण कार्यवाही की जाकर राजस्व अंकन प्रविष्टि दर्ज की जाती है, अपीलार्थीगण की निर्वसीयत मृत्यु के बाद जायन्दा पुत्र मोहन रामूराम सरवण व पुत्रिया झीमरी व पुरणी के हक में विधि प्रभाव से जन्म से खातेदारी अधिकार निहीत हो गये थे, ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधि प्रक्रिया अपनाये ही केवल जायन्दा पुत्रो के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 379 दिनॉक 19.01.1983 को स्वीकृति कर दिया तथा पुत्रियों का नाम की प्रविष्टि उक्त नामान्तरकरण में नही की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होकर असंवैधनिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अपीलार्थीगण के पिता पूर्ववर्ती खातेदार पुसाराम के देहान्त के बाद पुत्री झीमरी व पुरणी दोनो ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार हो गई पिता पूसाराम के गत खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा में पूसाराम के निहित खातेदारी अधिकार का नोशनल शेयर विरासत में प्राप्त हुआ है इस परिप्रेक्ष्य में आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि 379 को अपास्त कराने के अधिकारी है, मोहन के पुत्र भंवरा एवं मीठू है, खातेदार सरवन के पुत्र तुलछीराम है, खातेदार शान्ता की मृत्यु के बाद उसके वारिसान भंवरा व मीठू ही है, रेस्पोडेन्ट भंवरा वगैरह द्वारा भूमि का बंटवारा कराये जाने की सहमति देने की धमकी देने एवं जिला कार्यालय से नकले इत्यादि प्राप्त करने पर अपीलार्थीगण को इस बाबत जानकारी [illegible] दस्तदुआ है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बिस्वा [illegible] पंचायत जिलिया द्वारा पटवारी की रिपोर्ट दिनॉक 19.01.[illegible] नामान्तरकरण पुस्तिका में दर्ज आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि 379 दिनॉक 26.01.1983 को अपास्त कर निरस्त फरमावें एवं पुसाराम की मृत्यु के बाद प्रभावी स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

नामान्तरकरण दर्ज कराने के रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान फरमावे।

अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट 4 व 8 की ओर से उनके अधिवक्ता दिनॉक 21.6.17 को उपस्थित आये, तत्पश्चात अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम जिलिया के नामान्तरकरण संख्या 379 दिनॉक 26.01.1983 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। जमाबन्दी नकल ग्राम जिलिया सम्वत 2042–2055 खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा की नकल प्रस्तुत की,नकल खतौनी सम्वत 2069–2072 ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 206 की नकल प्रस्तुत की,

प्रकरण में वकील अपीलार्थीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिसने अपील प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नामा. सं. 379 अपास्त कर अपीलार्थीगण के पक्ष में अपने भाईयो/ भतीजों के साथ बराबर बराबर खातेदारी में नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। नामान्तरकरण संख्या 379 अनुसार पूसा गणेशा पि. भूरा शेष खाता बदस्तूर खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा में पूसा फौत होने पर उसके जायन्दा लड़के मोवन सरवण पि. पूसा तथा पूसा के लड़के रामूराम के फौत होने पर भंवरया पुत्र रामरू शेष खाता बदस्तूर अंकन है, जमाबंदी नकल सम्वत 2042–2055 ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 212 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा में मोहन सरवण पि. पूसा भंवरया पुत्र रामूराम गणेश पुत्र भूरा पनना माना नानू पि. घासी गंगली बेवा भागू कौम भाम्बी सा. देह खातेदार अंकन है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–2072 ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 206 रकबा 2.59 हैक्टर में भंवरा मिठू पि. मोहनराम सान्ता पत्नी मोहनराम सरवण पुत्र पुसाराम भंवराराम पुत्र रामूराम सरवण पुत्र पुसाराम भंवराराम पुत्र रामूराम मेघवंशी सा. देह खातेदार नामा. सं. 1050 दिनॉक 15.05.2017 बेचान से भंवराराम पुत्र रामुराम के स्थान पर स्वरूपदेवी पत्नी सागरमल मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम स्वीकृत [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्[illegible] है [illegible] प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक भूमि रही है जिसमे [illegible] दर्ज चली आई, पूसाराम की मृत्यु पर उनके भाई मोवन, सरवण व [illegible]मूराम के पुत्र भंवरया के नाम नामा. सं. 379 दर्ज कर 26.01.1983 को स्वीकृत हुआ, जबकि वरवक्त उनकी बहने अपीलार्थीगण झीमरी व पुरणी जीवित थी जिनका नाम उत्तराधिकार के तहत खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के

उपखण्ड अधिकारी

तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की श्रेणाी में पुत्रियो को भी हकदार माना गया है, प्रकरण में किसी भी रेस्पो. इत्यादि द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही कराई है तथा नही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, अतः अपील में अपीलार्थीगण को भी पुसाराम की मृत्यु पश्चात उसके पुत्रों के साथ–साथ प्रश्नगत भूमि में बराबर के खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत होने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुरूप उचित है। अतः नामान्तरकरण अपील स्वीकार की जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिये जाते है।

आदे□ा

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत जिलिया के नामान्तकरण प्रविष्टि ग्राम जिलिया के नामा. संख्या 379 दिनॉक 26.01.1983 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी गुणवागुण के आधार पर पक्षकारान की विधिवत वारिसान/उत्तराधिकार की सूक्ष्म जांच कर सुनवाई कर उचित निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करे ।

आदेश आज दिनॉक 07.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested